न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

(SC/ST) Case No.08/2022

प्रितम कुमार उर्फ गौतम विश्वास
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थिति :–
वास्ते आवेदक :– श्री देवनारायण सेन, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :– श्री कलानंद राम, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

26.08.2022

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक प्रितम कुमार उर्फ गौतम विश्वास की ओर से SC/ST Case No. 08/2022 U/S-341, 323, 354(B), 379, 504, 506, 325/34 I.P.C. & 3(2)(va)(G) of the SC/ST Act के संदर्भ में दाखिल किया गया है। आवेदक दिनांक–23.08.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस जमानत आवेदन को आज प्रचालित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि, सूचक त्रिभूवन कुमार के अनुसार दिनांक–07.11.2021 को समय करीब 7 बजे सूचक अपनी मोटरसाईकिल में लालो यादव के दुकान से दो लीटर पेट्रोल लिया और दो हजार रूपया का नोट दिया। सूचक रूपया वापस करने को कहा तो प्राथमिकी के नामित अभियुक्तगण मिलकर जाति सूचक शब्द से गाली–गलौज एवं मारपीट करने लगा। मारपीट के क्रम में सूचक के पॉकेट से 10,000/–रू0 एवं मोबाईल छीन लिया। बचाने उसकी चाचाी आयी तो उसके साथ भी मारपीट करने लगा जिससे उसका पहना हुआ कपड़ा फट गया और वह अर्द्धनग्न हो गयी।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है और कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण को दुश्मनी के कारण इस केस में झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों के बीच काउंटर केस है। आवेदकगण दिनांक–20.08.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है तथा कथन करते हैं कि सूचक को न्यायालय में उपस्थित हेतु नोटिस दिये थे।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि, कांड दैनिकी के कंडिका–90 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। कंडिका–32 में स्वतंत्र साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन नहीं किया है और कहा है कि सूचक द्वारा पेट्रोल भराने के बाद आवेदकगण से रूपया के लेन–देन को लेकर झंझट हो गया था।

लगातार 02

22.08.2022

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आवेदकगण को मो0 दस हजार रूपये के दो समान प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है कि –

1–आवेदकगण इस आशय का अंडरटेकिंग देगा कि मुकदमा में कार्रवाई के संबंध में पता करते रहेंगे तथा संज्ञान होने की स्थिति में शीघ्र उपस्थित होंगे।

Sd/-

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया